कार्यालय जिला पंचायत, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

zp-kanker.cg@nic.in Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

--0 आदेश 0--

क्रमांक/17755/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2017-18 कांकेर, दिनांक 09/03/2018

आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय 36 सी. ब्लाक - 2द्वितीय तल , इन्द्रावती भवन , नया रायपुर के पत्र क्रमांक / पंचा./ शिक्षा/ 2017/287 नया रायपुर दिनांक 20.07.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त पदों पर, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन, मंत्रालय, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 70 की उपधारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन पश्चात प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं दावा आपत्ति निराकरण के आधार पर तैयार मेरीट सूची अनुसार छानबीन समिति की अनुसंशा एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों के सत्यापन उपरांत प्रक्रिया अनुसार अंतिम चयन सूची जारी कर नियुक्ति आदेश जारी किया गया। जारी नियुक्ति आदेश में अभ्यर्थीयों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने एवं सेवा से त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुये पदों पर **प्रतिक्षा सूची** से समान प्रवर्ग से व्याख्याता (पंचायत) के पद पर काउंसलिंग दिनांक 09.03.2018 के अनुसार कॉलम नम्बर 09 में उल्लेखित प्रवर्ग से कॉलम नम्बर 05 में अंकित विषय के लिये कॉलम नम्बर 06 में दर्शित विद्यालय तथा कॉलम नम्बर 07 में अंकित विभाग के अन्तर्गत काऊसंलिंग दिनांक 09.03.2018 द्वारा प्रतिमाह वेतनमान 5300-150-8300 तथा समय-समय पर शासन व्दारा स्वीकृत महंगाई भत्तें जो देय हो, अधोअंकित शर्तो के अधीन आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	अभ्यर्थियों के नाम	लिंग (म./पु)	वर्ग जाति	विषय	पदस्थापना शाला का नाम	विभाग	बी.एड.	आरक्षण प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				अन्य पिछड़ा वर्ग				
1	श्री जीतू साहू / श्री अश्वनी साहू	पु.	अपिव	वाणिज्य	शा.उ.मा.वि. सुरही वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
2	श्री चक्रधर पटेल / श्री तेजराम पटेल	पु.	अपिव	वाणिज्य	शा.उ.मा.वि.इच्छापुर वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव
3	पूनम देवांगन / श्री मुन्ना लाल देवांगन	म.	अपिव	वाणिज्य	शा.उ.मा.वि.डुमाली वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अपिव म.
				अनुसूचित जाति				
1	जितेश्वरी रात्रे / श्री मुकेश रात्रे	म.	अजा.	वाणिज्य	शा.उ.मा.वि. भेजा वि.ख. भानुप्रतापपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड.	अजा
				अनुसूचित जनजाति				
1	श्री मनीष कुमार मण्डावी / श्री सुरज लाल मण्डावी	पु.	अजजा	वाणिज्य	शा.उ.मा.वि.मुरडोंगरी वि.ख. कांकेर	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा
2	हेमलता / श्री सरवन कुमार गोटा	म.	अजजा	वाणिज्य	शा.उ.मा.वि.कोदागाँव वि.ख. अंतागढ़	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा म.
3	गायत्री / श्री सोनम नेताम	म.	अजजा	वाणिज्य	शा.उ.मा.वि.पुरी वि.ख. चारामा	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा

9.3.18

Scanned by CamScanner

4	सरस्वती / श्री आत्माराम कुजाम	म.	अजजा	वाणिज्य	शा.उ.मा.वि.मरकाटोला वि.ख. नरहरपुर	शिक्षा विभाग	बी.एड. नहीं	अजजा

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

<u>नियुक्ति संबंधी सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-</u>

1. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) की जाति एवं प्रवर्ग से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र अजा/ अजजा/ पिवर्ग/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक होने के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संबधित संस्था एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पदभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा ।
2. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिटनेश सर्टिफिकेट) इस कार्यालय के कक्ष क्रमांक 29 में मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं माना जावेगा।
3. संबंधित व्याख्याता (पंचायत) को 50 रूपये का स्टाम्प पेपर में खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके ब्दारा नियुक्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाण पत्र एवं जानकारी पूर्ण रूपेण सत्य है। यदि प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र तथा अन्य जानकारी गलत पाये जाने पर बिना सूचना के उम्मीदवार की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।
4. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) यथा स्थिति छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अन्तर्गत बने नियमों के अधीन नियम 10 के अन्तर्गत जिला पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे ।
5. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) को नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पदांकित शाला में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना होगा। किन्तु किसी भी स्थिति में पदांकित शाला के विरूद्ध परिवर्तन एवं अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
6. व्याख्याता (पंचायत) के कार्य एवं आचरण का आकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी ब्दारा किया जायेगा तथा उनके कार्य/आचरण का आंकलन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि की समय सीमा 05 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी । फिर भी संबंधित की सेवाएं संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।
7. नियुक्ति व्याख्याता (पंचायत) की सेवाएं या तो व्याख्याता (पंचायत) ब्दारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी ब्दारा व्याख्याता (पंचायत) को लिखित में एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह के वेतन का भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
8. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) का पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रकिया नियमानुसार संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित व्याख्याता पंचायत से अनुप्रमाणन फार्म भरवाकर कराया जावेगा। यदि पुलिस विभाग ब्दारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र शासकीय सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर संबंधित व्याख्याता (पंचायत) की सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी तथा ऐसे व्याख्याता (पंचायत) के ब्दारा प्राप्त वेतन भत्ते की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जावेगी।
9. व्याख्याता (पंचायत) की ऊपर वर्णित सेवा शर्तों से भिन्न की शर्तें यथा स्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों के समान ही होगी ।
10. नियुक्त व्याख्याता (पंचायत) के संबंध में यदि यह जानकारी प्रमाणित होती है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 एवं विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है तो, उसकी सेवा बिना किसी सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
11. नियुक्त व्याख्याता (पंचा.) जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उक्त शिक्षाकर्मी की नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नया रायपुर द्वारा जारी भर्ती नियम 2012 की कंडिका 05 के प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिक के योग्य उम्मीद्वार नहीं मिलने के कारण उसी प्रवर्ग के वरियता क्रम से उम्मीद्वार चयनित किये गये हैं।

9.3.18

Scanned by CamScanner

13. चयनित दिव्यांग उम्मीद्वार को जिला मेडिकल बोर्ड कांकेर से 01 माह के भीतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी।
14. नियमानुसार नियुक्ति हेतु जारी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
15. इस नियुक्ति आदेश के सरल कमांक अ.ज.जा. के कमांक 01 से 04 तक के चयनित व्याख्याता (पंचायत) को नियुक्ति आदेश दिनांक से तीन वर्ष के भीतर बी.एड.उपाधि प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अथवा छ.ग.शिक्षक पंचायत संवर्ग भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2012 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत उम्मीदवार को दिनांक 26.03.2018 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि के पश्चात उपस्थिति मान्य नहीं होगी तथा स्वमेव नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

9.3.18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

पृ.कमांक/17756/जि.पं./व्या.पंचा./भर्ती/2017-18 कांकेर, दिनांक 09/03/2018

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय , महानदी भवन नया रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
3. संचालक, पंचायत, संचालनालय , इंद्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
6. मिशन संचालक,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर छ.ग.की ओर सूचनार्थ ।
7. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
8. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
9. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त छ.ग. छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
11. सर्व अनुविभागीय अधिकारी,(रा.) कांकेर/भानुप्रतापपुर/पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
12. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भानुप्रतापपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
13. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
15. जिला सेनानी, सैनिक कल्याण बोर्ड जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
16. आयुक्त दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़, जिला पंचायत परिसर, दूर्ग छ0ग0
17. जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ ।
18. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आनलाईन अपलोड करने हेतु ।
19. जिला जनसंपर्क अधिकारी, को सूचनार्थ। कृपया समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु।
20. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गूकोंदल/भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
21. सर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास खण्ड कांकेर/चारामा/नरहरपुर/दुर्गूकोंदल/ भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।

Scanned by CamScanner

22. प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि./हाईस्कूल ....जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । कृपया संबंधित उम्मीदवारों की उपस्थिति लेने के पूर्व मूल दस्तावेज की सूक्ष्म जांच एवं परीक्षण कर संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करावें तथा उपस्थिति संबंधी संकलित जानकारी अंतिम तिथि पश्चात् दो दिवस के भीतर खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा संस्था में शिक्षा पंचायत संवर्ग के भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी संबंधित विभाग/जिला प्रमुख एवं इस कार्यालय को अवगत करावें ।

23. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कुमारी .... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । अपनी उपस्थिति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को देने के पश्चात पदांकित शाला में उपस्थिति देगें ।
24. गार्ड फाईल (कार्यालयीन स्थापना शाखा) जिला पंचायत कांकेर ।
25. व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

9.3.18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner